(ग) चल खान पानयानों और उपाहार गृहों का प्रबन्ध रेलों द्वारा विभागीय स्तर पर और ठेकेदारों को ठेके पर देकर, दोनों तरीकों से किया जाता है। विभागीय इकाइयों में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वही हैं जो कि अन्य रेलवे कर्मचारियों की होती हैं। अभी हाल ही में यह विनिश्चय किया गया है कि विभागीय उपाहार गृहों और चल-यूनिटों में कमीशन के आधार पर काम करने वाले सभी बेयरों को चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर नियमित रेलवे कर्मचारियों के रूप में समाहित किया जाय। ठेकेदारों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में रेलें कोई ब्यौरा नहीं रखती हैं क्योंकि वे ठेकेदारों के निजी कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें वर्तमान श्रमिक कानूनों से शासित होती हैं। इन कर्मचारियों के ऐसे विशिष्ट मामले जिनकी सेवा की शर्तें संतोषजनक नहीं हैं यदि रेलवे के नोटिस में लाये जाते है तो उस मामले की जांच की जायेगी।

मिट्टी के तेल के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में अन्तर

3823. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में भारी अन्तर है;

(ख) मिट्टी के तेल के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसे रोका नहीं जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) शोधनशाला से बाहर मूल्य में मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क सहित मूल्य तथा अधिकतम बिक्री मूल्य में नहत कम अन्तर है।

(ख) और (ग). फुटकर बिक्री मूल्य के अन्तर्गत परिवहन तत्व, एजेंटों को लाभ बिक्री कर, चुंगी आदि जो कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग अलग हैं, सम्मिलित हैं। इन्हीं कारणों से सभी स्थानों पर मिट्टी के तेल के समान बिक्री मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है। यद्यपि शोधनशाला से बाहर मूल्य, केन्द्रीय उत्पाद मूल्य और तेल कम्पनियों के प्रभार और लाभ समान हैं।

न्याय व्यवस्था

3824. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश की वर्तमान न्याय-व्यवस्था इतनी जटिल तथा लम्बी है कि इसके अधीन किसी व्यक्ति को शीघ्र न्याय नही मिल पाता जिससे न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी सरल न्याय व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करेगी जिससे लोगों को अतिशीघ्र तथा कम खर्च पर न्याय मिल सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग). यह सही है कि कभी कभी न्याय के काम में विलम्ब हो जाता है। मामलों को शीघ्र निपटाने और विलम्ब कम करने की दृष्टि से पुरानी प्रक्रियात्मक और मूल विधियों में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। इनमें से कुछ विधायी अध्युपाय इस प्रकार हैं, अर्थात् :—

(1) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 जिसके द्वारा अनेक विषयों में उच्चतम न्यायालय को अपील करने के अधिकार को निर्बन्धित कर दिया गया है;